न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 18/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00082

अनवान्

1. श्रीमती मगनीबाई पुत्री भाना पत्नी हीरालाल प्रजापत कुम्हार निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री शंकर पिता भाना कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. श्री गोपाल पिता भाना कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्रीमती कंकु पुत्री भाना पत्नी उदयलाल कुम्हार निवासी कुम्हारवाडा, दांता भेरू नायक वाडी उदयपुर तहसील गिर्वा।
4. श्रीमती रतनी पुत्री भाना पत्नी लेहरू कुम्हार निवासी जेवाणा तहसील मावली।
5. श्री रमेश पिता भेरूलाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
6. श्री मुकेश पिता भेरूलाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
7. बाली पुत्री भेरूलाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
8. गुड्डी पुत्री भेरूलाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
9. श्रीमती मोवनी बेवा भेरूलाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
10. श्रीमती मन्जुदेवी पत्नी अम्बालाल कुम्हार निवासी सनवाड तहसील मावली।
11. श्री जाकिर हुसैन पिता शब्बीर हुसैन शोरगगर मुसलमान निवासी सनवाड तहसील मावली।
12. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
14. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 10
3. श्री पवन सेन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 5 से 9

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.03.2025

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 7, 10, 11 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित हैं। आराजी नम्बर 918, 919, 920, 921, 922, 923,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

924, 925, 926 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 7, 11 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित हैं।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

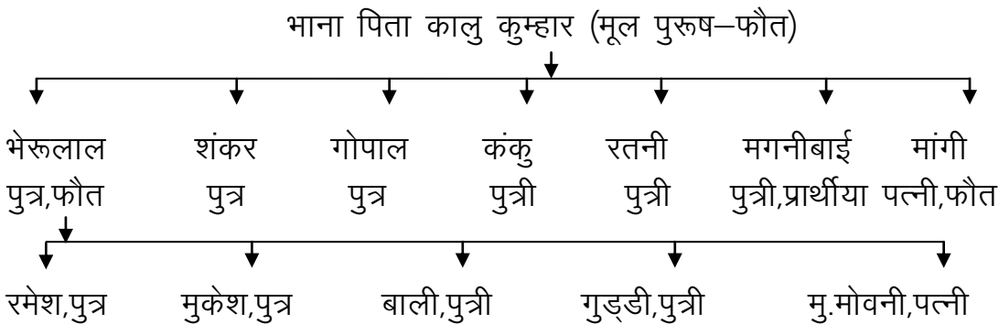

उक्त सजरे अनुसार भाना पिता कालु जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र भेरूलाल, शंकरलाल, गोपाल एवं तीन पुत्रीयां कंकु, रतनी, मगनीबाई (प्रार्थीया) तथा पत्नी मांगी हुई। भाना का पुत्र भेरूलाल का देहावसान हो चुका है जिनके वारिसान रमेश, मुकेश, बाली, गुड्डी, मु. मोवनी हैं। भाना की पत्नी मांगी का निधन हो चुका हैं। अन्य सभी वारिसान जीवित होकर पक्षकार मुकदमा बनाये गये हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस श्री भाना पिता कालु जी कुम्हार के देहावसान के पश्चात् हमारे मौरूस श्री भाना जी के नाम पर जो भूमि दर्ज थी उसे विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 9 ने अपने नाम पर अंकित कराई जो मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति हैं जिसमें मुझ प्रार्थीया को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुका है तथा उक्त भूमि में मैं प्रार्थीया अपने हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं। उक्त वर्णित आराजीयात जो पूर्व में हमारे मौरूस श्री भाना जी के नाम पर दर्ज थी जिनके देहावसान के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 9 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय श्री भाना जी के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 9 ने अपने नाम ही अंकन करवा दी जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है जबकि मैं प्रार्थीया स्वर्गीय श्री भाना जी की जायन्दा पुत्री हूं और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही हूं किन्तु उक्त जमीन विपक्षी संख्या 1 से 9 के नाम पर दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 4 ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर परिशिष्ट अ में अंकित भूमि में अपने नाम दर्ज भूमि में से 8/75 हिस्सा विपक्षी संख्या 10 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी और इसी तरह विपक्षी संख्या 1, 5 ने भी लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर परिशिष्ट अ में अंकित भूमि में विपक्षी संख्या 5 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/25 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 ने कुछ हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 10 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय कर दी तथा विपक्षी संख्या 7 से 9 ने भी लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर परिशिष्ट अ, ब में अंकित भूमि में विपक्षी संख्या 7 से 9 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा को विपक्षी संख्या 11 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी और विपक्षी संख्या 10, 11 ने इन नुमाईशी विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त भूमि को अपने नाम पर भी राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा दी जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1, 5, 7 से 9 द्वारा किये गये सभी हस्तान्तरण अवैद्य होकर मुझ प्रार्थीया के मुकाबले में शुन्य एवं निष्प्रभावी है और इससे मेरे जायज हक प्रभावित नहीं होते हैं। नुमाईशी तौर पर विक्रय की गई भूमिया वर्तमान में विपक्षी संख्या 10, 11 के नाम पर अंकित होने से विपक्षी संख्या 10, 11 उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है और अन्य विपक्षीगण भी अपने नाम अंकित भूमियों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है और मुझ प्रार्थीया के कब्जे काश्त में भी दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर बेदखल करने की धमकीया दे रहे हैं जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अपने हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हूं। इसलिए मुझ प्रार्थीया की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थीया को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो या है लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 9 ने राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर उक्त पैतृक कृषि भूमि को अपने नाम पर ही दर्ज करा दिया है और विपक्षी संख्या 1, 5, 7 से 9 ने उक्त भूमि अपने नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमियों को विपक्षी संख्या 10, 11 ने नुमाईशी दस्तावेज के जरिए अपना नाम भी रेकार्ड में रद्दोबदल करवा दिया है जो मुझ प्रार्थीया के मुकाबले शुन्य निष्प्रभावी है क्योंकि मुझ प्रार्थीया का अपनी उक्त पैतृक भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है और मैं प्रार्थीया स्व. भानाजी की जायन्दा पुत्री हूं। लेकिन उक्त पैतृक कृषि भूमि में निहित मेरा हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज नहीं होने से अब विपक्षी संख्या 1 से 11 आपस में मिलीभगत मुझ प्रार्थीया को अपने हिस्से की भूमि में खेती करने में रूकावट पैदा कर रहे है और अपने नाम दर्ज कुलिया जमीन अन्य को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रहे है और मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 1, 5, 7 से 9 ने विपक्षी संख्या 10, 11 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण किया है जो मेरे हक अधिकार के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसलिए मैं प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 से 11 मुझ प्रार्थीया को अपने हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंकना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 07.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 11 ने आपस में मिलीभगगत कर हमसलाह एक राय होकर मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशयक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 11 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने करने देवे, प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 12 से 14 को पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 5 से 9 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में सजरे का सही अंकन किया है एवं प्रार्थीया मुझ विपक्षी संख्या 2 की बहिन है जो कि मेरे पिता भाना जी के अन्य वारिसान के साथ ही वारिस हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद कृषि भूमि मुझ विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीया एवं शेष विपक्षीगण 1 व 3 से 10 की पैतृक सम्पति है एवं प्रार्थीया का उक्त वर्णित आराजीयात में हक व हिस्सा निहित होने की बात स्वीकार है [illegible] पिता श्री भाना जी के देहावसान पश्चात नामान्तकरण खुलते समय प्रार्थीया का नाम [illegible] से भुलवश छुट गया और राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में अंकित होने से रह गया था। वादग्रस्त कृषि भूमि में से कुछ हिस्सा शेष विपक्षी संख्या 4 के अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 5 ने भी कुछ हिस्सा विपक्षी संख्या 10 को एवं विपक्षी संख्या 7 से 9 ने विपक्षी संख्या 11 को हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया जबकि उक्त कृषि आराजीयात में प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित है जो कि प्रार्थीया अपने नाम अंकित करवाने की अधिकारिणी है एवं प्रार्थीया का हिस्सा प्रार्थीया के हिस्से अनुसार उसके नाम पर घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाता है तो मुझ विपक्षी को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं हैं। मुझ विपक्षी ने कभी कृषि भूमि के बेचान के लिए धमकी नहीं दी और मेरे विरूद्व प्रार्थीया को कभी भी कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना प्रार्थीया स्वीकार है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ विपक्षी को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं हैं।

8. विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 10 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि आराजीयात भाना पिता कालु जी कुम्हार ने तत्कालीन स्टेट मेवाड ठिकाणा सनवाड से विक्रम सम्वत 2005 अर्थात करीबन 70 वर्ष पूर्व बिल एवज रूपया 100/– अक्षरे एक सौ रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसके साबत (पट्टा) की प्रति जवाबदावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि आराजीयात भाना के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। मिलान खसरे की प्रति भी जवाब दावे के साथ संलग्न हैं। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि भाना जी की स्वअर्जित कृषि भूमि हैं। आराजी नम्बर 918, 919, 920 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि भाना जी ने अपने भाईयों के साथ संयुक्त रूप से परसराम, गोरधन, शांतिलाल, जगदीश, सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर अर्जित की थी। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि भाना जी की स्वअर्जित कृषि भूमि हैं। आराजी नम्बर 921, 922, 923, 924, 925, 926 भाना जी के पिता कालु जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसे भाना जी ने उनके हिस्से की भूमि को परिश्रम करके लागत लगाकर काश्त योग्य बनाकर काश्त किया। प्रार्थीया मगनीबाई का पालन पोषण भाना जी ने ही करके विवाह एवं आणे टाणे करवाये। प्रार्थीया मगनीबाई के पति हीरालाल का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद भाना जी एवं हम विपक्षीगण ने ग्राम सनवाड में प्रार्थीया की पुत्री सोहनी एवं उसके पुत्र सुरेश का हमारे खर्चे से ही सनवाड में विवाह करवाया। भाना जी परिवार के कर्ता थे एवं प्रार्थीया की आवश्यकताओ के अनुरूप उसके पुत्र–पुत्री के विवाह एवं अन्य कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकताओं की पूर्ति भाना जी ने एवं हम विपक्षीगण ने की थी। जिस कारण से प्रार्थीया का उक्त भूमि में हिस्सा भाना जी एवं हम विपक्षीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

समायोजित हो गया था। इस प्रकार उक्त भूमि भी भाना जी की स्वअर्जित कृषि भूमि आराजीयात हैं। जिसे उन्होने व हम विपक्षीगण ने उपरोक्त प्रतिफल के बदले अर्जित किया हैं।

9. यह कि भाना जी के 100 वर्ष पुरे हो जाने पर मगनीबाई भाना के अंतिम संस्कार के समय एवं बाद में सामाजिक प्रथा अनुसार होने वाले काम काजो में आई तक नहीं और न ही किसी प्रकार का कोई खर्च दिया। माताजी मांगीबाई के 100 साल हो जाने पर भी मगनीबाई नहीं आई और मगनीबाई ने कोई खर्च भी नहीं दिया। मगनीबाई पर उसके ससुराल चुण्डावत खेडी जहां पर वह निवास करती आ रही है वहीं के लच्छीराम साधु की हत्या करने का आरोप प्रार्थीया मगनीबाई पर था एवं उक्त मुकदमे में मगनीबाई को सजा हुई व मगनीबाई सजा होने से जेल में भी रही। प्रार्थीया मगनीबाई द्वारा समाज के विरूद्व गलत कार्य करने से भाना जी एवं पुरे परिवार ने मगनीबाई से रिश्ता समाप्त कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाना जी के जीवनकाल से ही मगनीबाई का उक्त जमीन एवं भाना जी से कोई रिश्ता नाता ही नही रहा था। भाना जी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 15.03.2000 को स्टाम्प पर टंकित करवा स्वयं की अंगुष्ठ निशानी कर गवाहो की साखे लगवा कर सम्पादित की थी। उक्त भूमि भाना जी की स्वअर्जित होने से उन्हे वसीयत करने का कानूनी अधिकार था उक्त वसीयत में भाना जी ने मगनीबाई को उनकी चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं दिया। भाना जी के 100 वर्ष हो जाने पर उक्त भूमि हम विपक्षीगण के नाम नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई जिसे करीब 18–20 वर्ष बीत चुके है। इतने सालो के बीतने के बाद महज हम विपक्षीगण को परेशान करने व नाजायज राशि ऐठने के लिए प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण खुले 18–20 साल बीत चुके है। जिसकी कोई अपील प्रार्थीया ने नहीं की और प्रार्थीया की कानूनन अपील करने की मियाद भी निकल चुकी है। इस प्रकार प्रार्थीया किसी प्रकार की दाद न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई हिस्सा, कब्जा नहीं है एवं हम विपक्षीगण के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई है और हम विपक्षीगण उक्त जमीन पर काबिज काश्त खातेदार हैं।

10. यह कि प्रार्थीया का कोई हिस्सा उक्त भूमि में नहीं था। राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज हुई है। हमारे नाम पर दर्ज भूमि हमारे काबिज काश्त की भूमि है जिसका हम उपयोग उपभोगग कर रहे है। प्रार्थीया ने मिथ्या एवं गलत मनगढन्त कथन करके उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीया का कोई भी हिस्सा और कब्जा उक्त भूमि में नहीं रहा हैं। समस्त कथन मनगढन्त अंकित है। उक्त भूमि भाना जी की स्वअर्जित कृषि भूमि आराजीयात थी और भाना जी ने प्रार्थीया को कुछ नहीं दिया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं हैं। क्योंकि उक्त भूमि भाना जी की स्वअर्जित भूमि थी और कानूनन उन्हे वसीयत करने का अधिकार था। भाना जी के 100 वर्ष पुरे हुए काफी साल बीत चुके है प्रार्थीया का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं रहा है बल्कि हम विपक्षीगण उक्त भूमि पर निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त कर रहे है और उक्त कृषि भूमि आराजीयात हम विपक्षीगण के खाते है इस प्रकार सुविधा संतुलन एवं प्राइमाफैसी हम विपक्षीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी हमारे पक्ष में हैं। प्रार्थीया को उक्त भूमि पर हम विपक्षीगण के विरूद्व कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रार्थीया का पैतृक होने के आधार पर हिस्सा होने का कथन नासाबित होकर झुठा हैं। प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा ही उक्त भूमि में नहीं है तो कोई प्रार्थना पत्र कारण ही उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं हैं। प्रार्थीया ने राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण खुलने के 18–20 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया चाहती तो इतने सालो के पर्याप्त समय में नोटिस दे सकती थी बिगर नोटिस एवं स्पष्ट रूप से बिगर ठोस पर्याप्त कारण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जो कि विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज किया जावें।

11. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात भाना जी की स्वअर्जित सम्पति थी। जिससे उन्हे उनकी स्वअर्जित सम्पति की वसीयत करने का कानूनी अधिकार था और भाना जी ने उनकी स्वअर्जित उक्त सम्पति में प्रार्थीया को कोई हिस्सा नहीं दिया और भाना जी के 100 वर्ष पुरे हो जाने पर हम विपक्षीगण के राजस्व खाते में दर्ज हुई। हम विपक्षीगण के खाते में दर्ज हुए करीब 20 वर्ष हो चुके है। अब जाकर प्रार्थीया ने उजर उठाया है जो कि कानूनन बैरून मियाद है। प्रार्थीया का करीब 25 वर्षों से भाना जी, परिवार एवं उक्त जमीन से कोई लेना देना नहीं है। महज भूमाफियाओ से मिलकर जमीन व पैसा हडपने के लिए झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसे सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र विशेष कथन स्वीकार करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 10 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना मय में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होकर अपने पिता भाना के समय से चली आना बताकर भाना के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं होना बताया हैं। विपक्षीगण द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थीया को भाना की वारिस होना माना हैं। चूंकि उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीया का जन्म से ही अधिकार निहित हैं। पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
2. ***अपूरणीय क्षति—*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. ***सुविधा का संतुलन—*** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

14. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हैं। भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता भाना के नाम पर दर्ज थी। भाना की मृत्यु के बाद भूमि भाना के वारिस शंकर, गोपाल, कंकु, रतनी एवं रमेश, मुकेश, बाली, गुड्डी, मु. मोवनी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। भाना के वारिस भेरूलाल फौत होने से उसके वारिस रमेश, मुकेश, बाली, गुड्डी, मु. मोवनी हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीया का जन्म से ही हक निहित है। भूमि विपक्षीगण के नाम [illegible] से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द [illegible] कर देते है तो इससे प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 12.06.2019 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 पर दर्ज आराजी नम्बर 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested